प्रतिलिपि क्रमांक ३ .१६०।७३।१२। भोपाल, दिनांक २७।११।।७३ ।।१३।१२।७३ द्वारा मध्य प्रदेश शासन नैसर्गिक साधन विभाग, प्रति कलेक्टर जिला मण्डला मध्य प्रदेश।

----०----

विषय:- मौजा मुगदरा जिला मण्डला के २७७-९० एकड़ भूभाग पर डोलोमाइट खनिज के लिये सर्वश्री उड़ीसा सीमेन्ट का खान पट्टा दिये जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक ख०लि०।४।७२, दिनांक १८-३-७३।

==०==

राज्य शासन ने डोलामाइट खनिज के लिए मौजा मुगदरा जिला-मण्डला के ५० एकड़ क्षेत्र हेक्टर में परिवर्तित किया जाय पर सर्वश्री उड़ीसा सीमेन्ट लि० का निम्न शर्तों पर खनि पट्टा दिया जाना स्वीकृत किया है।

१- अवधि ३० वर्ष।

२- नियतकर। माइन्स एन्ड मिनरल: रेगु उन्ड डेवे, एक्ट १९५७

३- अधिकार शुल्क। तथा खनि रियायत नियमावली १९६० में निर्धारित शर्तों के अनुसार।

४- माइन्स एन्ड मिनरल रेगु एन्ड डेवे: एक्ट१९५७ के अन्तर्गत निर्मित नियमों तथा खनि रियायत नियमावली १९६० तथा अन्य नियमों में निर्धारित अन्य शर्तें

५- भू- परिमाप यदि आवश्यक हो।

६- आवेदक कं० द्वारा पट्टा निष्पादन के तीन साल के अन्दर कम से कम ६००० टन डोलोमाइट प्रतिवर्ष निकालने की क्षमता उत्पन्न की जायगी।

२-:- यदि उक्त शर्तें आवेदक को मान्य हों तो उन्हें आवश्यक निधि आदि जमा करके खनि रियायत नियमावली १९६० में दिए फार्म के पर खनि-पट्टे का करारनामा, स्वीकृत आदेश प्रसारित होने की तिथि से ६ माह में निष्पादित करने के लिये आदेश दिया जाय। पट्टेदार की ओर से स्टाम्प लगाए अनुबंध का प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित कराया जाकर इस विभाग के अनुदेश क्रमांक ७४८१ ।सी० आर० ।३८४।१२ दिनांक २७।७।१९६१ के अनुसार आपके द्वारा निष्पादित किया जाय तथा उसकी एक प्रति इस विभाग में भेजी जाय।

खसरों की अनुसूची एकड़ तथा हेक्टर में दी जावें। आवेदित क्षेत्र में से आवेदक से उनकी इच्छानुसार ५० एकड़ क्षेत्र का मानचित्र प्राप्तकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही की जाय।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश आदेशानुसार।

कार्यालय कलेक्टर, मण्डला ।

Kha. Li-20/74 Mandla Dt. 5.2.74 9/2

क्रमांक ।ख०लि०।२०।७४ मण्डला, दिनांक 5 फरवरी, ७४।

प्रति,

मेसर्स उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड कम्पनी,
पा० ऑ०-राजगांगपुर,
जिला- सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) ।

विषय:- मौजा मुकदरा जिला- मण्डला के २७७-६० एकड़ भू-भाग पर डोलोमाइट उत्खनन के लिये सर्वश्री उड़ीसा सीमेन्ट को खनि-पट्टा दिये जाने बाबद ।

निर्देश:- आपका पत्र क्रमांक आर० पी० एम० एम०-१४७।१ दिनांक २१।२३-१-७४ ।

-- oo --

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के ज्ञापन ~~क्रमांक~~ पृष्ठांकन क्रमांक ख०लि०।२०।७३ दिनांक २७।१२।७३ के अनुसार शासनादेश की प्रति जो भिजवाई गई थी, उसमें अवधि ३० वर्षों के स्थान में २० वर्षों की पढ़ी जावें । शासनादेशानुसार पट्टे की अवधि २० वर्षों के लिये स्वीकृत की गई है, जो कि मुद्रण की गलती से ३० वर्ष मुद्रित हुई ।

(हस्ताक्षर)
खनिज अधिकारी,
कृते कलेक्टर, मण्डला ।

पृष्ठांकन क्रमांक ।ख०लि०।२०।७३ दिनांक फरवरी, ७४।

प्रतिलिपि:-

सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नैसर्गिक साधन विभाग भोपाल को उक्त निर्देशित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

२- अनुविभागीय अधिकारी, मण्डला ।तहसीलदार, मण्डला ।खनिज निरीक्षक मण्डला । राजस्व निरीक्षक बम्हनी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ख०लि०२०।७३ दिनांक २७।१२।७३ के संदर्भ में सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार सुधार करने हेतु अग्रेषित ।

(सही)- -

खनिज अधिकारी,
कृते कलेक्टर, मण्डला ।

कन्हा
२-२-७४।